

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 07/2020

बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,  
शाखा- पी0आर0मार्ग, अजमेर (राज.)  
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

ऋण खाता (अ)

- (1) मैसर्स जमजम ज्वैलर्स प्रो० श्री शेख अंसार अली पुत्र श्री शेख इज्जत अली  
पता:-केयर ऑफ होटल जमजम, घसेटी बाजार, नला बाजार, अजमेर, (राज०)

गारन्टर

- (1) श्री शेख अकबर अली पुत्र श्री शेख इज्जत अली  
पता:- 146/21, किशन गुरनानी मौहल्ला, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज०)
- (2) श्री शेख असगर अली पुत्र श्री शेख इज्जत अली  
पता:- 146/21, किशन गुरनानी मौहल्ला, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज०)
- (3) श्री शेख मंसूर अली पुत्र श्री शेख इज्जत अली  
पता:-146/21, किशन गुरनानी मौहल्ला, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज०)
- (4) श्री अब्दुल रशीद पुत्र श्री मोईनुद्दीन  
पता:- 537, चौधरी मौहल्ला, नला बाजार, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज०)

ऋण खाता (ब)

- (1) श्री शेख अंसार अली पुत्र श्री शेख इज्जत अली  
पता:- 146/21, किशन गुरनानी मौहल्ला, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज०)
- (2) श्री शेख अकबर अली पुत्र श्री इज्जत अली  
पता:- 146/21, किशन गुरनानी मौहल्ला, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज०)
- (3) श्री शेख असगर अली पुत्र श्री शेख इज्जत अली  
पता:- 146/21, किशन गुरनानी मौहल्ला, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज०)
- (4) श्री शेख मंसूर अली पुत्र श्री शेख इज्जत अली  
पता:-146/21, किशन गुरनानी मौहल्ला, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज०)
- (5) श्रीमती नफीसा बेगम पत्नी श्री शेख अंसार अली  
पता:- 146/21, किशन गुरनानी मौहल्ला, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज०)
- (6) श्रीमती जसनारा बेगम पत्नी श्री शेख अकबर अली  
पता:- 146/21, किशन गुरनानी मौहल्ला, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज०)
- (6) श्रीमती सलमा बेगम पत्नी श्री शेख मंसूर अली  
पता:- 146/21, किशन गुरनानी मौहल्ला, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज०)

गारन्टर

- (1) सुनील डाबरिया पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार  
पता:- दादाबाई कॉलोनी, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज०)
- (2) श्रीमती जोहरा बीबी पत्नी श्री अब्दुल रशीद  
पता:- 537, चौधरी मौहल्ला, नला बाजार, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज०)  
.....अप्रार्थीगण (ऋणी)



*W. Kherme*  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिकसटक्शन  
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ  
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री सत्येन्द्र खोरानियाँ

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 07.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स जमजम ज्वैलर्स प्रो० श्री शेख अंसार अली पुत्र श्री शेख इज्जत अली एवं श्री शेख अकबर अली पुत्र श्री शेख इज्जत अली, निवासी:- केयर ऑफ होटल जमजम, घसेटी बाजार, नला बाजार, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज०) को दिनांक 31.03.2014 व 14.01.2015 को क्रमशः रु 32,00,000/- (अक्षरे बत्तीस लाख मात्र) व 1,32,00,000/- (अक्षरे एक करोड बत्तीस लाख मात्र) कुल ऋण रु 1,64,00,000/- (अक्षरे एक करोड चौसठ लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ए०एम०सी नं० 17/356, 17/357, 17/358, घसेटी बाजार, अजमेर व तहसील व जिला अजमेर (राज०) स्थित आवासीय सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1310 वर्गफीट), जो श्री शेख अंसार अली, श्री शेख अकबर अली, श्री शेख असगर अली, श्री शेख मंसूर अली पुत्रगण श्री शेख इज्जत अली के नाम से है, जिसके पूर्व में- श्री अग्रवाल की सम्पत्ति, पश्चिम-श्री एस. के. अंसार की सम्पत्ति, उत्तर -श्री जैन साहब की सम्पत्ति, दक्षिण-रास्ता, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 30.09.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 03.10.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस टर्म लोन ऋण खाते में रुपये 33,33,671/- (अक्षरे तैंतीस लाख तैंतीस हजार छः सौ इकहत्तर रुपये मात्र) व रुपये 1,38,48,821/- (अक्षरे एक करोड अडतीस लाख अडतालीस हजार आठ सौ इक्कीस रुपये मात्र) कुल ऋण रुपये 1,71,82,492/- (अक्षरे एक करोड इक्कहत्तर लाख बियासी हजार चार सौ बानवें रुपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।



*Atkano*  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति ए0एम0सी नं0 17/356, 17/357, 17/358, घसेटी बाजार, अजमेर व तहसील व जिला अजमेर (राज0) स्थित आवासीय सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1310 वर्गफीट), जो श्री शेख अंसार अली, श्री शेख अकबर अली, श्री शेख असगर अली, श्री शेख मंसूर अली पुत्रगण श्री शेख इज्जत अली के नाम से है, जिसके पूर्व में— श्री अग्रवाल की सम्पत्ति, पश्चिम—श्री एस. के. अंसार की सम्पत्ति, उत्तर—श्री जैन साहब की सम्पत्ति, दक्षिण—रास्ता, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्र कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 07.01.2020 को सुनाया गया।



(विश्व मोहन शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर

